न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 97/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/152

प्रार्थी:–

अशोक कुमार पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी नाड़ोल, तहसील देसुरी जिला पाली हाल निवासी केयर ऑफ रामुराम, जोरम 23 नेहरू कॉलोनी बग्गी खाना पांच रातानाड़ा रेजीडेन्सी रोड़ जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. विनोद कुमार पुत्र हरीलाल जाति गर्ग निवासी बिजोवा तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत बिजोवा पंचायत समिति रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गगनपाल सिंह
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मक़वाणा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24/02/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.02.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियम 157(2) के तहत खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई मिसल कायम नहीं की, न ही आवेदन प्राप्त किया, न ही नक्शा शुल्क व आवेदन शुल्क पेश किया, न गवाहों के बयान लिये और न ही आपत्ति नोटिस जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर कोरम की उपस्थिति में उक्त आदेश पारित किया हो, ऐसे कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थी का बीपीएल कैटेगरी के तहत पूर्व से ही मकान बना हुआ है, जिसमें वह निवासरत है और उसने पुनः पंचायत नियमों के विरूद्ध निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा प्राप्त कर लिया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2017(1) WLN 200 (Raj.) पेश कर ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का 35 वर्षो से कब्जा है। मेरा पूर्व में जो मकान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बना हुआ है, उसमें मेरे पिता व बड़े भाई रहते है। अप्रार्थी अन्धा है और अप्रार्थी ने पट्टे हेतु पोर्टल पर आवेदन किया तथा पंचायत ने मौका निरीक्षण किया, आपत्ति आमंत्रित की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात् प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया। यदि वर्तमान में रेकर्ड ग्राम पंचायत से गुम हो गया तो उसके लिये अप्रार्थी दोषी नहीं है। पट्टा जारी होने के दौरान नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.02.2009 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पूर्व से आवास निर्मित है। उक्त कथन का खण्डन करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि यद्यपि मकान निर्मित है तथापित अप्रार्थी उसमें निवासरत नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ्स का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 का नाम बीपीएल परिवार के रूप में दर्ज है तथा उसके पक्ष में पूर्व में आवास निर्मित है। स्वयं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से मकान बना हुआ है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि अप्रार्थी संख्या 1 पूर्णतः गृहविहीन नहीं है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। नियम 157(2) के अनुसार "ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि पर पट्टा (प्ररूप–23–ख में), ऐसी महिला को जारी किया जायेगा, जो ऐसे परिवार की मुख्या हो। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 के पास पूर्व से निर्मित मकान उपलब्ध है, अतः वह नियम 157(2) के अन्तर्गत निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता। केवल इस आधार पर कि वह वर्तमान में उक्त मकान में निवासरत नहीं है, नियम में प्रदत गृह अथवा गृह स्थल न होना की शर्त शिथिल नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध फोटोग्राफ्स से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई मकान निर्मित नहीं है, जिससे वर्ष 2003 तक झुग्गी/कच्चे मकान के रूप में कब्जा होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Khusal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157– पट्टा रद्द किया– क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति खारिज की– 534.41 वर्ग गज के सम्बन्ध में 200/– रूपये के लिये जारी किया–मौके पर केवल 10 X 8 का कमरा अस्तित्व में था– नियमों के उल्लंघन में जारी पट्टा अधिनियम की धारा 97 के अधीन रद्द किया जा सकता है– प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के दो जी.एल.आर. स्थापित थे– रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व्यथित व्यक्ति है– निर्णीत, याचिका में सार नहीं है व खारिज की। न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

(Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार Rule 157 permits regularisation of old houses constructed over the abadi land of Gram panchayat and not the open plots. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 2019(2) DNJ (Raj.) 570 Issack Khan vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector, Jaisalmer & Ors. के अनुसार Rule 157 of Rajasthan Panchayati Raj Rules not applied in case of vacant land. साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District Collector, Pali & Ors. के अनुसार Presence of old house at the spot is necessary for granting patt under Section 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Act. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में यह प्रतिपादित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157(2) के अन्तर्गत जारी किया गया पट्टा नियमविरूद्ध एवं अपात्र व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता।

अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दृष्टिबाधिता सम्बन्धि प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः यह तथ्य विवादित नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 1 दिव्यांग व्यक्ति है परन्तु जहां तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तोवज उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किसी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। अतः उक्त कथन मात्र मौखिक तर्क के रूप में है, जिसका कोई अभिलेखीय समर्थन नहीं है। यह भी सर्वविदित एवं विधिसम्मत प्रक्रिया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत से आबादी भूमि प्राप्त करना अथवा खरीदना चाहता है, तो उसे विधिवत लिखित आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, जिस पर पंचायत द्वारा विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई लिखित आवेदन पत्रावली पर दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विधिक प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 1 का दिव्यांग (अन्धा) होना एक सहानुभूतिपूर्ण परिस्थिति है, तथापि विधि का सिद्धान्त है कि सहानुभूति के आधार पर नियमों का उल्लंघन वैध नहीं ठहराया जा सकता। यदि पट्टा नियमों की निर्धारित पात्रता शर्तों एवं विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना जारी किया गया है, तो मात्र इस आधार पर कि पट्टाधारक अन्धा व्यक्ति है, उक्त कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के आलोक में यह प्रतिपादित होता है कि पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने का कथन अप्रमाणित है तथा दिव्यांगता का तथ्य, अपने आप में नियमों से परे जाकर की गई कार्रवाही की वैधता प्रदान नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा, बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेडछाड की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। यहां पर माननीय न्यायायल के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.02.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत बिजोवा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली